

नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माने के साथ हो सकती है कानूनी कार्रवाई

9 संस्थानों को यूनिवर्सिटी नाम हटाने के लिए यूजीसी ने जारी किया नोटिस

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूनिवर्सिटी लिखने वाली 29 डीम्ड यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। जिसके अनुसार गुरुवार तक इन डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपने नाम के आगे से यूनिवर्सिटी शब्द हटाना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grants Commission

साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देशभर में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बजाय डीम्ड यूनिवर्सिटी शब्द का उपयोग कर रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने नाम के आगे से यूनिवर्सिटी शब्द हटाना होगा। इसके लिए यूजीसी ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया था, नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 123 डीम्ड संस्थानों को दोषी पाया गया है।

इन्हें दी हिदायत

यूजीसी ने कुछ संस्थानों को हिदायत भी भेजी है, इनमें दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस यूनिवर्सिटी पुणे, बिदस पिलानी, देहरादून एंड गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार आदि शिक्षण संस्थान शामिल हैं। वहीं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, तमिलनाडु की 10, उत्तर प्रदेश 3, नई दिल्ली व हरियाणा की 2-2, कर्नाटक 5, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, पं. बंगाल, महाराष्ट्र व उत्तराखण्ड के 1-1 संस्थान हैं।